कार्यालय जिला पंचायत, मऊ।

परमिट सं0: 93 /मानचित्र/जि0पं0/2023–24 दिनांक 02-06-2023

निदेशक,
नवल्स नेशनल एकैडमी,
पता–धनौली रामपुर,दोहरीघाट
जनपद–मऊ

अनुज्ञा–पत्र

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 18.05.2023 के साथ संलग्न मानचित्र एवं भू–अभिलेख में प्रदर्शित भूमि कुल–0.290हें0 पता–धनौली रामपुर, दोहरीघाट,मऊ में स्कूल भवन के मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तावित मानचित्र में कुल कवर्ड एरिया 2370 वर्ग मीटर हेतु स्वीकृति संम्यक विचारोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 30.05.2023 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के अनुक्रम में उपर्युक्त मानचित्र जिला पंचायत मऊ द्वारा भवन निर्माण उपविधि दिनांक 11 फरवरी, 2023 के निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन स्वीकार किया जाता है।

1. अनुज्ञा पत्र जारी करने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत है तो जिला पंचायत द्वारा की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
2. कोई भी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानिचत्र जिला पंचायत से स्वीकृति होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
3. भविष्य में अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु पुनः मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
4. उपरोक्त स्वीकृत मानचित्र में अथवा निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन बिना जिला पंचायत की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।
5. भवन में किसी शौचालय को गली की ओर खुला नहीं रखा जायेगा।
6. भवन परिसर में वर्षा के जल के के संचयन हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से स्थापित किया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित कर जलमल/सवीरेज/उत्सर्जित पदार्थ का निस्तारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।
8. प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य करते समय/निर्माण पूर्ण होने के पश्चात निर्माण सामग्री सम्मुख मार्ग पर एकत्रित/अमिक्रमण नहीं किया जायेगा।
9. प्रतिबंध रहेगा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होगा।
10. स्वीकृत मानचित्र तथा परमिट किसी भी दशा में स्वामित्व अभिलेख के रूप में मान्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप में प्रयुक्त किया जायेगा।
11. प्रस्तावित भू–खण्ड पर शासकीय निकाय, जैसे नगर पालिका परिषद टाउन एरिया, विकास प्राधिकरण या अन्य किसी के स्वामित्व में होने, विवाद उत्पन्न होने की जिम्मेदारी आवेदक की हागी तथा ऐसी स्थिति में स्वीकृत मानचित्र निरस्त मानी जायेगी।

31-5-2023
अभियन्ता
जिला पंचायत मऊ।
अभियन्ता
जिला पंचायत

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत मऊ।
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-मऊ

Scanned with AnyScanner